

# डिक्री मुकदमा इब्तादाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर, मु. जयपुर  
पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

वाद संख्या: 193/2013

निर्णय दिनांक : 21.10.2019

1 रामधन पुत्र भोरा (मृतक दौराने वाद)

1/1. मन नर देवी पत्नी रामधन

1/2 हेमपाल मीणा

1/3 गिर्राज मीणा

पुत्रान रामधन

2 जोहरीलाल

3 बिरधीचन्द

4 गोपाल

पुत्रान भोरा



समस्त जाति मीणा, विसासीयान ग्राम गुनावता, तहसील आमेर जिला जयपुर

5 श्रीमती भगवती पत्नी भगवान सहाय पुत्री चन्दा, जाति मीणा, निवासी ग्राम हरवर,  
तहसील आमेर, जिला जयपुर।

6 श्रीमती किशनी पत्नी रामजीलाल (मृतक दौराने वाद)

6/1 नानगराम पुत्र रामजीलाल

6/2 राजेन्द्र

6/3 बाबूलाल

पुत्रान कल्याणसहाय (पुत्र रामजीलाल)

समस्त जाति मीणा, निवासीयान हरवर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

7 श्रीमती पांची पत्नी गोविन्दराम पुत्री चन्दा, जाति मीणा,

निवासी ग्राम छापराडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

-वादीगण

बनाम

1 सोहन पुत्र सरूपा

2 नानगराम पुत्र सरूपा

समस्त जाति मीणा, निवासीयान ग्राम गुनावता

तहसील आमेर, जिला जयपुर

3 श्रीमती कैलाशी पत्नी छोटूराम, पुत्र सरूपा, जाति मीणा,

निवासी ग्राम चिताणु, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

4 मु. गंगा पत्नी सरूपा, जाति मीणा, (मृतक)(नाम हजफ)

निवासी ग्राम गुनावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण




**वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा**  
**अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम**

**निर्णय**

प्रतिवादी सं. 2 स्वयं को दत्तक पुत्र सिद्ध करने बाबत प्रत्येक स्तर पर विफल रहा है। जिसके अभाव में मात्र उक्त प्रतिवादी सं. 2 भोमाराम को ही मृतक खातेदार मन्नीदेवी की सम्पत्ति का मात्र वारिस घोषित किया जाना सम्भव व न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त गोद पुत्र घोषित किया जाना न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। इस हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रतिवादा प्रतिवादी सं. 2 खारिज किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। जिसके अनुसार वादीगण सं. 1 लगायत 4 को विवादित भूमि के शामिल 1/7 हिस्से, वादीगण सं. 5 लगायत 7 प्रत्येक को 1/7-1/7 हिस्से तथा प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/7-1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

दस्तखत—

ओहदा—

  
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा		-
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	2 रूपये		मुतफरित		
मीजान			मीजान		